राजस्व वाद सं. 49/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1– प्रवीणसिंह पुत्र अमरसिंह 2– महेन्द्रसिंह पुत्र प्रवीणसिंह सभी जाति राजपूत आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी बरलुट तहसील व जिला सिरोही राज.		1– गोरधनसिंह पुत्र अमरसिंह 2– नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह सभी जाति राजपूत आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी बरलुट तहसील व जिला सिरोही राज. 3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं 49/2019

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ सिरोही उपस्थित तथा वादी श्री महेन्द्रसिंह तथा वादीगण की ओर से वकील श्री भेरूपालसिंह उपस्थित है तथा प्रतिवादीगण श्री नारायणसिंह व गोरधनसिंह मय प्रतिवादीगण वकील श्री गजेन्द्रसिंह उपस्थित । उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि के विभाजन कराने की सहमति प्रदान करने से तथा उभय पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि के हक हिस्से ,कब्जे काश्त व सिंचाई पानी लेने की ढींची ,फसल बुवाई को लेकर पक्षकारान के मध्य झगडा टंटा मनमुटाव नही हो इसको मध्यनजर रखते हुये न्यायहित मे वादग्रस्त कृषि आराजी के जमाबंदी मे दर्ज खातेदारान के हक हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री बाय मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी करना न्यायोचित होने से वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर यह वादीगण का यह राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा बरलुट पटवार हल्का बरलुट तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 319 नया के खसरा संख्या 883 रकबा 6.5100 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 884 रकबा 0.2100 हैक्टेयर की वर्तमान जमांबदी मे दर्ज खातेदारान (उभय पक्षकारान) के हक हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य बाय मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि मे अच्छी मेसे अच्छी तथा बुरी मेसे बुरी तथा पक्षकारान के सुखाधिकारों मे रास्ते ,मौके, सडक ईत्यादि को ध्यान मे रखते हुये तथा कुऐ से पानी लेने की ढींची (टर्न) तय करते हुये दौराने बंटवाड मौके पर पक्षकारान को उपस्थित होने हेतु सूचित करते हुये उक्तानुसार बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार करवाकर एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें । वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना भुगते ।

आज दिनांक 21–7–2020 को यह प्राथमिक डिक्री बदस्तखत मेरे पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

मुदाई	रू.	पै.	मुद्दायलाह	रू.	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
रार्धा गवाहन			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमिश्नर		
मुतफरीक			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मौजान			मौजान		

21/7/20

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:41 IST
Reason: SelfAttested